POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.11.2022

1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 15 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 25.11.2022 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाला शराब तस्कर अर्जुन उर्फ संजीत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कनारसी, थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता ग्राम तिलपत, थाना सराय, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा को परीचौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 15 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार रजि नम्बर एचआर 51 एयू 8565 बरामद की गयी है।

अभियुक्त शातिर किस्म का शराब तस्कर है जो अपने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा व बिहार राज्य में शराब की तस्करी करते है। अभियुक्त से बरामद शराब भी अभियुक्त आगामी नगर निकाय चुनाव में बांटने हेतु तस्करी कर लाये थे।

अभियुक्त का विवरणः

अर्जुन उर्फ संजीत पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कनारसी, थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्घनगर वर्तमान पता ग्राम तिलपत, थाना सराय, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 231/2019 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 1022/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 120बी भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 25/2022 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420/482/120बी भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 745/2022 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 120बी भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.15 पेटी कुल 180 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।

2.तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नम्बर एचआर 51 एयू 8565

2-थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से छीनी हुयी सोने की चेन, बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 25.11.2022 को थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा अलताफ उर्फ साहिल पुत्र शब्बीर निवासी शाहजहां कॉलोनी, गली नं0-07, लिसाडी गेट, मेरठ को थाना क्षेत्र के मानव रचना स्कूल के पास एसबीआई कट, सेक्टर-50 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से छीनी हुयी सोने की चेन सम्बन्धित मु0अ0सं0 316/2022 धारा 392 भादवि0, एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल अपाचे व एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त द्वारा बाइक पर सवार होकर अपने साथी के साथ दिनाँक 18/09/2022 को जैन मन्दिर के पास सेक्टर-51 से वादी प्रतीक राज सिह निवासी सेक्टर-51 की सोने की चेन छीनी गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-316/2022 धारा 392 भादवि0 थाना सेक्टर-49 पर पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरणः

अलताफ उर्फ साहिल पुत्र शब्बीर निवासी शाहजहां कॉलोनी, गली नं0-07, लिसाडी गेट, मेरठ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0-383/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सेक्टर-49, नोएडा।

2.मु0अ0सं0-316/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा।

3.मु0अ0सं0-228/2022 धारा 414 भादवि0 थाना सेक्टर-49, नोएडा।

4.मु0अ0सं0-558/2019 धारा 414 भादवि0 थाना सिविल लाईन, मेरठ।

5.मु0अ0सं0-360/2020 धारा- 392 भादवि0 थाना नौचंदी, जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरणः

1. एक सोने की चेन सम्बन्धित मु0अ0सं0 316/2022 धारा 392 भादवि0।

2. एक अवैध चाकू।

3. एक मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट।

#साइबर हेल्प डेस्क थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड का शिकार हुए आवेदक के क्रेडिट कार्ड से हुये आनलाइन फ्रॉड के 1,81,000/- रूपये वापस कराए गए।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थानों मे साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किये गये है जिसमें साइबर फ्रॉड से पीड़ित व्यक्तियों के फ्रॉड से निकाले गये रूपयों को त्वरित कार्यवाही करते हुये वापस दिलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 25.11.2022 को थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस द्वारा आवेदक निवासी सेक्टर-134, नोएडा के साथ हुए 1,81,000/- ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक एचडीएफसी से पेमेंट होल्ड कराकर पीड़ित/आवेदक हरिन्दर सोंधी को 1,81,000/- रुपये तुरंत वापस करा दिए गए। पैसे वापस मिलने पर पीड़ित/आवेदक द्वारा नोएडा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गयी।